न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 3.7..2020

मि.न 64 / 2020

सरकार बनाम लालचन्द
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का देवता ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के छारदड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0277 / 0.79 है0 किस्म गै0मु0 में से 0.0032 है0 भूमि पर श्री लालचन्द पुत्र बनवारीलाल जाति अहीर निवासी छारदड़ा ने पक्का निर्माण किया जाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थि आया । जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि गैर सायल ने वाके ग्राम छारदड़ा के खसरा नंबर 277 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है. गैर सायल के विरूद्व गलत रिपोर्ट पेश की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि वाके ग्राम छारदड़ा के खसरा नंबर 277 / 0.79 है0 में से 0.0032है भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल लालचन्द पुत्र बनवारी लाल जाति अहीर निवासी छारदड़ा . तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम छारदड़ा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 277 / 0.79 है0 किस्म जमीन गै0मु0 मे से 0.0032 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.32रू. का पचास गुणा 16 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर.

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

ए. को लिखा जावे . निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से क्रम हों ।

निर्णय आज दिनाक 3.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner